उनवान – परसाराम बनाम अर्जुन वगैरह
[illegible]
निर्णय दिनांक [illegible]

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– हिम्मत सिंह

मु.न. 109 / 2017

उनवान

1. परसाराम पुत्र केशाराम,
2. महादेव पुत्र चन्द्रा
3. मोहन पुत्र प्रभातीलाल
4. मदनलाल पुत्र प्रभातीलाल
5. राजेन्द्र पुत्र प्रभातीलाल
6. जितेन्द्र पुत्र प्रभातीलाल
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम रायसिंह का बास, तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।
7. श्री बालाजी ड्रीम डवलपर्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय बालाजी टॉवर फोडी केम्पस रोड नम्बर 1, मुरलीपुरा, जयपुर।

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र भैरू
2. शैतान पुत्र भैरू
3. ग्यारसीलाल पुत्र भैरू
4. रामस्वरूप पुत्र भैरू
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम रायसिंह का बास, तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।
5. रघुनाथ पुत्र बालू जाति अहीर, निवासी मंगरावाली ढाणी, ग्राम ढोढसर तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।
6. सांवरमल पुत्र बोदू, जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगलकलां, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
7. प्रभूदयाल उर्फ प्रभात पुत्र जगन्नाथ
8. मन्नालाल पुत्र जगन्नाथ
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।
9. सीताराम पुत्र चन्द्रा, जाति अहीर, निवासी ग्राम निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
10. जगदीश पुत्र चन्द्रा जाति अहीर, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ जिला जयपुर
11. रामेश्वर पुत्र बींजा, जाति जाट निवासी ग्राम रायसिंह का बास, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
12. दुर्गासहाय पुत्र मांगूराम मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम रायसिंह का बास, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

13. प्रभाती देवी पत्नि मदन मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम रायसिंह का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. सुरेश पुत्र मदन मीणा, जाति मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम रायसिंह का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज.)

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0 एक्ट</u>**

**निर्णय दिनांकः– 29.11.2019**

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वाके ग्राम रायसिंह का बास पटवार हल्का नांगल कलां, तहसील चोमू, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 44 के हाल खसरा नम्बर 545, 546, 547/748, 548/749, 549/750, 552/751, 554/752 कुल किता 7 का कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर प्रार्थी की भूमि, खाता संख्या 43 के हाल खसरा नम्बर 482/733, 494/734, 502/735, 503/736, 504/737, 538, 539, 540, 541, 547, 548, 549, 550, 551, 552/738 कुल किता 15 का कुल रकबा 4.49 हैक्टयेर तथा खाता संख्या 156 के हाल खसरा नम्बर 536/746, 541/747, 542, 543, 544 कुल किता 5 का कुल रकबा 2.52 हैक्टयेर भूमि निहित हैं।

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान उपतहसीलदार गोविन्दगढ़ के आदेश से दिनांक 18.06.2016 व 09.07.2016 को श्रीमान उपतहसीलदार गोविन्दगढ के आदेश कमांक/भू0अ0/सीमाज्ञान/16/763 दिनांक 23.05.2016 की पालना में ग्राम रायसिंहबास नांगलकलां पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पहुंच कर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष खसरा नम्बर 550, 557, 496 में स्थित गैर मुमकिन चाह को आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नापकर सभी पक्षकारान को समझाई गई तथा सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बर 545, 546, 547/748, 548/749, 549/750, 552/751, 554/752, 482/733, 494/734, 502/735, 503/736, 504/737, 538, 539, 540, 541, 547, 548, 549, 550, 551, 552/738, 536/746, 541/747, 542, 543, 544 की भूमि वर्णित मद नम्बर 1 की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की हिस्से की खातेदारी भूमि हैं, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्क हैं, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 प्रार्थी को उसके कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की भूमि का प्रार्थना पत्र में वर्णित की पत्थरगढी नहीं करवाने दे रहे है तथा उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी के पडौसी खातेदार व्यक्ति हैं, जिस कारण यदि पत्थरगढी के आदेष माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थी अपने कब्जे शुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी के आदेश फरमाने की कृपा करें।

Scanned by CamScanner

-^

उनवान – परसाराम बनाम अर्जुन वगै०
प्रार्थना पत्र पत्थरगढी
निर्णय दिनाक 29.11.2019

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली, प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान उपतहसीलदार गोविन्दगढ के आदेश से दिनांक 18.06.2016 व 09.07.2016 को पटवारी हल्का रायसिंह का बास नांगल कलां द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर उपतहसीलदार गोविन्दगढ़ को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 18.06.2016 व 09.07.2016 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.28 12:35:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: